25.3.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय हुई
इसमें से निरस्तगी आवेदन प्रस्तुत
न्यायालय में फैसला [illegible] निर्णय
होकर इसक से तहसीलदार
की मिसल आवेदन [illegible]
नम्बर से फैसल हो। पत्रावली
दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/28	01.10.2021	136 LR Act	२५.03.2025

उनवान

1:–सुधीर कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 1–डी–28, अरावली विहार, काला कुंआ, अलवर तहसील व जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1:–तहसीलदार साहब, अलवर तहसील कार्यालय, अलवर जिला अलवर (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी 1–डी–28, अरावली विहार, काला कुंआ, अलवर तहसील व जिला अलवर का रहने वाला है जमाबन्दी हाल संवत 2069–2074 जमाबंदी 2075 (वर्ष 1918) खाता संख्या नया 374 व खाता संख्या पुराना 372 आराजी खसरा नं. 906 रकबा 10 ऐयर ग्राम भूगोर तह. अलवर में स्थित है कि भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान सरकार के ग्राम भूगोर तह. अलवर के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि का हाल खसरा नं. 906 रकबा 10 ऐयर व साबिक खसरा नं. 595/1155 रकबा 8 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल में दर्ज रिकॉर्ड है।

आराजी खसरा नंम्बर साबिक 595/1155 क्रम संख्या 111 खाता संख्या 106 ग्राम भूगोर तह. अलवर जिला अलवर में रकबा 8 बिस्वा स्थित है उक्त आराजी का अंकन भू–प्रबन्धक (सैटलमेंट विभाग) राजस्थान राज्य की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत 2020 में नाम कृषक के कॉलम संख्या 5 में रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम कोम पुजारी (ब्राह्मण) सा. अलवर खातेदार ब्राहम्ण दर्ज रिकॉर्ड है उक्त आराजी प्रार्थी के दादाजी रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम कोम पुजारी (ब्राह्मण) की खातेदारी की आराजी थी जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2020 में दर्ज है जिस जमाबंदी की सत्यप्रति प्रार्थना पत्र के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है सम्वत 2029, व सम्वत 2033 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता संख्या 268 पर उक्त आराजी के बाबत् प्रार्थी के दादा रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम कोम गुसाई सा. अलवर खातेदार के नाम का अंकन दर्ज रिकॉर्ड है जिसके अंकन में सहवन से कोम पुजारी (ब्राहम्ण) के स्थान पर गुसाई शब्द अंकित हो गया है जबकि पूर्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2020 में रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम की कोम पुजारी (ब्राह्मण) दर्ज है जिसके

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2029 व सम्वत् 2033 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना चाहिये था इसलिए श्रीमान् कोम गुसाई के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी (ब्राह्मण) शब्द दुरुस्त कर अंकन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबदी सम्वत 2069–2074 जमाबंदी वर्ष 1975 (वर्ष 2018) के खाता संख्या नया 374 व खाता संख्या पुराना 372 के खसरा नं. 906 रकबा 10 ऐयर जो कि ग्राम भूगोर में स्थित है में प्रार्थी के दादा रघुनाथ सहाय की वल्दीयत लालजी राम के स्थान पर बलवीर व कोम पुजारी (ब्राह्मण) के स्थान पर गुसाई गलत प्रकार से दर्ज रिकॉर्ड हो गई है जिसका दुरुस्त किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है

प्रार्थी के दादा रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम कोम पुजारी (ब्राह्मण) का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी के पिता गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र रघुनाथ सहाय जाति ब्राहम्ण का भी निधन 27.01.2020 को हो चुका है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित संशोधन कराने हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है

राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त वर्णित गलत अंकन (इन्द्राज) के कायम रहने से प्रार्थी के हक व अधिकार जायल होकर खतरे में पड़ जायेंगे और उन पर विपरीत असर पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् की सीमा के परिक्षेत्र में निवास करता है और उपरोक्त वर्णित आराजी भी श्रीमान् न्यायालय के परिक्षेत्र की सीमा में स्थित है। जिससे वर्तमान प्रार्थना पत्र श्रीमान् के श्रवण योग्य है

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर साबिक राजस्व रिकॉर्ड भू–प्रबन्धक (सैटलमेंट) विभाग राजस्थान की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) ग्राम भूगोर तह. अलवर जिला अलवर सम्वत 2020 के क्रम संख्या 111, खाता संख्या 106 के काश्तकार कॉलम संख्या 5 में दर्ज काश्तकार का इन्द्राज रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम कोम पुजारी (ब्राह्मण) सा. अलवर खातेदार ब्राह्मण साबिक आराजी खसरा नं. 595/1155 रकबा 8 बिस्वा के इन्द्राज को ही बदस्तुर रिकॉर्ड हाल जमाबंदी सम्वत 2069–2074 के खाता संख्या नया 374 व पुराना 372 हाल खसरा नं. 906 रकबा 10 ऐयर में कायम रखने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें एवं सम्वत् 2029 व सम्वत 2033 में गलत अंकन कोम गुसाई को एवंम हाल जमाबंदी में गलत अंकन वल्दीयत बलबीर व कोम गुसाई को विलोपित करते हुए

रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम कोम पुजारी (ब्राह्मण) सा. अलवर खातेदार ब्राहम्ण का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपार्ट क्रमांक 11 दिनॉक 16–5–2022 के अनुसार आ0 ख0न0 906/0.10 है0 किस्म नहरी हाल ऑनलाईन जमाबन्दी मे रघुनाथ सहाय पुत्र बलवीर हि0 पूर्ण जाति गुसाई सा0 अलवर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है हाल खसरा नम्बर 906/0.10 है0 किस्म नहरी का सम्वत 2051 मिलान क्षेत्रफल मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 595/1155 रकबा 8 बिस्वा ग्राम भूगोर दर्ज रिकार्ड है

सम्वत 2033 की जमाबन्दी के खाता स0 238 मे प्रार्थी के पिता का नाम रघुनाथ सहाय पुत्र लालजीराम कौम गुसाई सा0 अलवर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था एंव सम्वत 2029 की जमाबन्दी के खाता स0 268 मे भी प्रार्थी के पिता वल्दियत रघुनाथ सहाय पुत्र लालजी राम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कौम गुसाई सा0 अलवर खातेदार दर्ज रिकार्ड थी सम्वत 2020 की मिसल बन्दोबस्त मे प्रार्थी के पिता के पिता के नाम की वल्दियत व जाति सही दर्ज रिकार्ड थी जो " रघुनाथ सहाय पुत्र लालजीराम कौम पुजारी (ब्राहाण) सा अलवर ब्राहमण थी

सम्वत 2020 की मिसल बन्दोबस्त बनाई गई चौसाला जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता की जाति ब्राहमण के स्थान पर गुसाई सहवन से दर्ज कर दी गई

जमाबन्दी सम्वत 2033 मे भी प्रार्थी के पिता की जाति गुसाई दर्ज रिकार्ड रही है जमाबन्दी सम्वत 2033 के बाद भी चौसाला जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता की वल्दियत भी सहवन से रघुनाथ सहाय पुत्र बलवीर जाति गुसाई सा अलवर खातेदार दर्ज की गई जो इस पकार हाल जमाबन्दी मे भी दर्ज है

अतः हाल आ0 ख0 न0 रकबा 0.10 है0 किस्म नहरी–2 मे दर्ज खातेदार की वल्दियत एंव जाति मुताविक साबिक रिकॉर्ड के रघुनाथ सहाय पुत्र लालजीराम हिस्सा पूर्ण जाति पुजारी (ब्राहमण) सा0 अलवर खातेदार किया जाना उचित है इस अभिशंषा के साथ रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई गई है

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्दत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूस्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार तहसील अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है जमाबन्दी सम्वत 2020, 2029, 2033, 2037, 2049 एंव 2051–2060 एंव 2024 के अवलोकन एंव रिपोर्ट/रिकार्ड अनुसार मुताबिक वाके ग्राम भूगोर तहसील अलवर के उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि साबिक खसरा नम्बर 595/1155 रकबा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 906 रकबा 0.10 है0 मे रघुनाथ सहाय पुत्र बलवीर जाति गुसाई के स्थान पर रघुनाथ सहाय पुत्र लालजीराम जाति पुजारी (ब्राहमण) राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक २५-३-२५ को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर